उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-108/2018/1975/92-2-2018-89डब्ल्यू/2014

लखनऊ :: दिनांक:: 09 अगस्त 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद कानपुर में मा0 काशीराम जी शहरी मलिन बस्ती समग्र विकास योजना से संबंधित निविदाओं एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना से संबंधित अनुबंधों के गठन में अनियमित प्रक्रिया किये जाने, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पहले ही निविदा खोलने, वित्तीय हस्त पुस्तिका के पैरा-316, 317 व 318 का उल्लंघन करने, अपने पद एवं दायित्वों के अनुसार दर विश्लेषण एवं रोड मेटल रेट (आर0एम0आर0) स्वीकृत न करने, अनुबंधित बिडिंग डाक्यूमेंट के आई0टी0बी0 के प्रस्तर-16 के अनुरूप बिड सिक्योरिटी/जमानती धनराशि तथा प्रस्तर-32 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी सक्षम अधिकारी के नाम से बंधक न कराने, आई0टी0 बी0 के प्रस्तर-25 के अनुसार बिड सिक्योरिटी एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी का सत्यापन न कराने, ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके राजस्व ग्राम सचेंडी, मदारा राय गुमान, ग्राम सभा सपई के राजस्व ग्राम कीरतपुर तथा धर्मपुर, ग्राम सभा बाराखेडा के मजरा चम्पतपुर जनपद कानपुर के कार्य में फर्जी पासबुकों के आधार पर अनुबंध गठित किये जाने, जिसमें कुल रू0 26,31,000.00 की शासकीय क्षति अर्न्तनिहित है, के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4031/ 92-2012-03जांच/2012 दि0 08.11.2012 द्वारा श्री जयराम, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को निलम्बित कर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की अनुशासनिक जांच हेतु वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 04.03.2013 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 09 आरोपों में से कतिपय आरोप आंशिक व पूर्णरूप से सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 26.04.2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनएवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दि0 14.05.2013 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। सभी संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री जयराम पर स्थापित आरोपो के अनुसार उन्हें दोषी पाये जाने पर प्रकरण में निहित शासकीय क्षति रू0 14,56,000.00 की वसूली, श्री जयराम को अधीक्षण अभियंता के पद से अधिशासी अभियंता के पद पर अवनति (रिडक्शन) किये जाने तथा उनके विरूद्व परिनिन्दा का दण्ड अधिरोपित किये जाने का अनन्तिम विनिश्चिय करते हुये शासन के पत्र संख्या-3031/92-13-03जांच/2012 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकरण पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की सहमति मांगी गयी जो उनके पत्र दिनांक 11.04.2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। तदोपरान्त शासन के कायार्लय ज्ञाप संख्या-11/1946/92-2014-03जांच/2012 दि0 09.05.2014 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री जयराम को निम्नवत दण्ड देते हुये प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी :-

(1) शासकीय क्षति रू0 14,56,000.00 **(रू0 चौदह लाख छप्पन हजार मात्र)** की श्री जयराम से नियमानुसार वसूली की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) श्री जयराम को अधीक्षण अभियंता के पद से अधिशासी अभियंता के पद पर अवनति (रिडक्शन) किया जाय।

(3) श्री जयराम को परिनिन्दा (सेन्सर) का दण्ड दिया जाय। उक्त परिनिन्दा वर्ष 2014-15 के लिये मानी जायेगी।

3- शासन के उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री जयराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-34744/2014 जयराम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.09.2017 द्वारा शासन के दण्डादेश दिनांक 09.05.2014 को अपास्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 06.09.17 के विरूद्व मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्राप्त डायरी सं0-42050/2017 के अनुसार सुनवाई की अगली सम्भावित तिथि 14.09.2018 को नियत है। याची श्री जयराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दि0 06.09.2017 का अनुपालन न होने की स्थिति में अवमानना वाद संख्या-3752/2018 योजित की गयी है। उपरोक्त के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दि0 06.09.2017 के अनुपालन एवं श्री जयराम के प्रत्यावेदन दिनांक 12-05-18, जिसके साथ उनके द्वारा सेवायोजन, व्यापार आदि में संलिप्त न होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06-09-2017 के समादर में दण्डादेश दि0 09-05-2014 विखण्डित किये जाने तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के नियम-54 में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत श्री जयराम की निलम्बन अवधि दिनांक 08-11-2012 से उनकी सेवानिवृत्ति दि0 30-06-2015 तक को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि के अवशेष वेतन भत्तों तथा समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों का नियमानुसार भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दि0 06.09.2017 के विरूद्व मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की जा रही विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-108/2018/1975(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री जयराम, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in